कार्यालय अधिष्ठाता एवं मुख्यकार्यपालन अधिकारी
शासकीय गॉधी चिकित्सा महाविद्यालय, स्वशासी समिति, भोपाल
फोन : 0755–4050000
वेबसाईट: wwwgmc Bhopal
भोपाल, दिनांक 23/09/2020
कमांक/अधि0/एनएचएम(6)/2020/4058

विज्ञप्ति

मिशन संचालक, एनएचएम भोपाल के पत्र कमांक 10256/एनएचएम/एचआर/सेंल–1/2020, दि0 05/8/2020 द्वारा दिये गये स्वीकृति अनुसार कोविड 19 महामारी रोकथाम हेतु अधिष्ठाता, शासकीय चिकित्सा महाविद्यालयो में नवीन ब्लाक एवं टीबी अस्पताल में 240 एवं 100 बिस्तर की नई ईकाई हेतु अतिरिक्त मानव संसाधन की अस्थायी, स्वीकृति निश्चित मानदेय पर दि0 30.9.2020 तक प्रदान की गई है ।

क	पदनाम	योग्यता	मासिक मानदेय प्रतिमाह	कुल पद
1.	स्नातकोत्तर चिकित्सा अधिकारी (डिग्री/डिप्लोमा) विषय विशेषज्ञ	1. एम.डी. मेडिसिन, एनेस्थिसिया 2. एम.डी. रेस्पीरेटरी मेडिसिन 3. डिप्लोमा रेस्पीरेटरी मेडिसिन (डी.टी.सी.डी)	रू 1,25,000/– (डिग्री) रू 1,10000/– (डिप्लोमा)	15
2.	चिकित्सा अधिकारी	1. एम.बी.बी.एस. (मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय) एवं 2. मध्यप्रदेश मेडिकल कौंसिल में जीवित पंजीयन)	रू 60,000/–	141

इच्छुक उम्मीदवार आवेंदन शुल्क रू 100/– को आनलाईन, CEO & Dean Gandhi Medical College, Bhopal के खाता कमाक **10625211248 IFSC code SBIN0010140 SBI GMC Bhopal** में जमा कर उसकी रसीद के साथ स्वयं विज्ञापन प्रकाशन से तीन दिवस के भीतर कार्यालीन समय, सायं 4 बजें तक अपने निर्धारित शौक्षणिक योग्यता, सक्षम अधिकारी का अनुभव प्रमाण पत्र एवं मूलनिवासी एवं जाति प्रमाण पत्र के मूलदस्तावेजो की एक स्वप्रमाणित छायाप्रति के साथ अधिष्ठाता कार्यलय गॉधी चिकित्सा महाविद्यालय भोपाल मे जमा कर सकते है। निर्धारित दिनांक के पश्चात आवेदन मान्य नही किया जायेगा।

पूर्व में जमा समस्त आवेदन इस विज्ञप्ति के लिये के मान्य नही होगे। विज्ञापन के लिये प्राप्त आवेदन कीं प्रथम स्कूटनी मे पात्र आवेदको को ही चयन सूची की सूचना कालेज की वेंबसाईट पर प्रकाशित की जायेगी। जिन्हे सूची प्रकाशन के दो दिन के भीतर के साथ अधिष्ठाता कार्यलय एएनएम शाखा में पर उपस्थिति देनी होगी।

दस्तावेजः अभ्यार्थी को म0प्र0 चिकित्सा परिषद/नर्सीग परिषद/पैरीमेडिकल परिषद का जीवित पंजीकरण, सक्षम अधिकारी द्वारा जारी डिजिटल जातिप्रमाण पत्र व अन्य दस्तावेजो की स्वप्रमाणित छायाप्रति जमा करना अनिवार्य होगा। किसी भी प्रकार से दस्तावेज पुर्ण न होने की स्थिति में आपके आवेदन पर विचार नही किया जायेगा।

कोविड–19 महामारी की रोकथाम करने हेतु अतिरिक्त मानव संसाधन की आवश्यकता को देखते हुए आयु और वर्ग के मानक को शिथिल किया गया है। सभी 21 वर्ष से 60 वर्ष के आयु एवं वर्ग के पद अनुसार पात्र आवेदक ही आवेदन कर सकते है। नियुक्ति अस्थायी दिनांक 30.09.2020 तक के लिए है। जिसे आग्रामी तीन माह के लिए बढाया जा सकता है।

2020.09.29 13:46
Scanned with CamScanner

आयुक्त चिकित्सा शिक्षा के पत्र क 1493/पीजी/4/सचिशि/2020 भोपाल दिनांक 21.09.2020 अनुसार कोविड –19 महामारी के दृष्टिगत स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम डिग्री/डिप्लोमा मेडिसिन, एनेस्थरिया एवं पॉलमोनोलॉजी के उत्तीर्ण छात्र/छत्राओं की सेवाओं विभिन्न शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय में स्वीकृत पीजीएमओ के पदो के विरूद्ध अस्थायी रूप से कोविड–19 ड्यूटी कार्य करने हेतु लिये जाने पर सेवा की अवधि उनके द्वारा स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम उत्तीर्ण करने के उपरांत की जाने वाले ग्रामीण सेवाओ की अवधि में विकलनीय होगी। यह केवल शासकीय स्वशासी चिकित्सा महाविद्यालय से उत्तीर्ण छात्र/छात्राओं पर लागू होगा।

चयनीत आवेदक नियुक्ति अवधि समांप्त होने के पश्चात संविदा या नियमित नौकरी के लियें पात्र नही माना जायेगा और न ही इसके लिये कोई दावा करेगा।

इस कार्यलय को बिना कारण बताये किसी भी समय यह विज्ञप्ति मे आशिंक रूप में परिवर्तन अथवा निरस्त करने का पूर्ण अधिकार है। किसी भी विवाद की स्थिती में केवल न्यायालय भोपाल में परिषद हेंतु मान्य रहेगा।

अधिष्ठाता एवं मुख्यकार्यपालन अधिकारी
गॉधी चिकित्सा महाविद्यालय, भोपाल

2020.09.29 13:46

Scanned with CamScanner

21.09.2020 ... स्थायी ...

कोविड 19 के लिये स्वीकृत पदो पर भर्ती हेतु आवेदन का प्रारूप
शासकीय गॉधी चिकित्सा महाविद्यालय भोपाल म0प्र0
अस्थायी नियुक्ति हेतु आवेदन प्रपत्र

विज्ञापन कमाक............................दिनाक........................

आवेदक पद का नाम...............................

आवेदन शुल्क रू 100/–

आनलाईन रसीद संख्या एवं दिनांकरू

CEO & dean Gandhi Medical College, Bhopal के खाता कमाक 10625211248, IFSC code SBIN0010140 SBI GMC Bhopal

1. अभ्यार्थी का नाम...
2. पिता/पति का नाम...
3. जन्म तिथि :...
4. योग्यता :

क	परीक्षा का नाम	विद्यालय / महाविद्यालय	बोर्ड / विश्वविद्यालय	उतीर्ण वर्ष	प्राप्तांक	प्रतिशत्	रिमार्क
1	हाईस्कूल						
2	हाई सेकण्डरी						
5	डिप्लोमा–						
6	डिग्री						

5. म0प्र0 एमसीआई रजिष्ट्रेशन/ नर्सीग परिषद/ पैरीमेडिकल परिषद जीवित पंजीयन प्रमाण पत्र : ....
6. अनुभव (सक्षम अधिकारी का प्रमाण पत्र एवं वेतन प्रमाण संलग्न करना अनिवार्य है)

क	संस्था का नाम	पद का नाम	अवधि कब से कब तक
1			
2			

7. वर्ग (सामान्य,अनु0जाति, अनु0जनजाति0 अ0पि0व0)..........................
8. संम्पर्क के लिये पता :..
9. मोबाईल न0:... 10 ई–मेल :..
10. आधार कार्ड :...
11. **कोई भी अनुशासनात्मक कार्यवाही/गंभीर अपराध प्रकरण/दंड तो उसकी जानकारी:.........................**
12. वचन/कथन

मैं प्रमाणित करता हूँ /करती हूँ कि मेरे द्वारा दी गई उपरोक्त जानकारी सत्य है जिसके लिये मैं स्वमं जिम्मेदार रहूँगा/रहूँगी। मुझे यह ज्ञात है कि जानकारी असत्य पाये जाने पर कानुनी कार्यवाही की जा सकती है। तथा अस्थायी नियुक्ति **अवधी समाप्त होने के पश्चात किसी भी तरह की नियमित या संविदा नौकरी की मांग नही करूगा या करूगी।**

हस्ताक्षर

2020.09.29 13:47

Scanned with CamScanner

अनुबन्ध पत्र

मैने ....अपना आवेदन दिनांक .... के द्वारा .... की सेवा हेतु अधिष्ठाता एवं मुख्यकार्यपालन अधिकारी गाँधी चिकित्सा महाविद्यालय, भोपाल के कार्यलय में प्रस्तुत किया है।

मै स्वेच्छा से ....मानदेय पद दिनांक ......से दिनाक 30/9/2020 तक कोविड महामारी नियंत्रण ऑपरेशन के लिये कार्य करने हेतु सहमत हूँ। मुक्षे दिया जाने वाला मानसिक मानदेय .... स्वीकार है एवं दी गई समस्त सेवा शर्ते मान्य है एवं मेरे द्वारा नियोजन के संबन्ध में माननीय न्यायालय में किसी भी प्रकार का दावा/आपत्ति प्रस्तुत नही करेगा।

सेवा शर्ते

1. यह सेवा पूर्णतः अस्थायी होगी एव आकस्मिक सेंवाओ के रूप में 3 माह के लिये ली जा रही है। जिसे आवश्यकता होने पर शासन के आदेशानुसार धटाया बढाया जा सकता है। अतः निर्धारित अवधि पश्चात् आदेश स्वतः ही निरस्त माना जायेगा।
2. यह सेवा पूर्णतः अस्थायी होगी एव आकस्मिक सेंवाओ के रूप में एक माह के लिये ली जा रही है। अतः निर्धारित अवधि पश्चात् आदेश स्वतः ही निरस्त माना जायेगा। तत्पश्चात् बिना आदेश प्राप्त किये निरतंर कार्य पर बने रहने पर अभ्यार्थी स्वयं जिम्मेदार होगा तथा किसी भी तरह के मानदेय के लिय प्राप्त नही होगा।
3. उक्त पदो के नियत्रंणकर्ता अधिकारी अधिष्ठाता, गाँधी चिकित्सा महाविद्यालय, भोपाल होगे।
4. अधिष्ठाता,गाँधी चिकित्सा महाविद्यालय, भोपाल को समस्त दस्तावेजो की स्वप्रमाणित छायाप्रतियाँ एवं मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेंट उपलब्ध करा कर ही सेंवाप्रदाता कार्य दायितत्व संभालेगे।
5. अनुवंध निष्पादन करने वाला व्यय संबन्धित सेंवा प्रदता द्वारा वहन किया जायेगा।
6. आयुक्त चिकित्सा शिक्षा के पत्र क 1493/पीजी/4/सचिशि/2020 भोपाल दिनांक 21.09.2020 अनुसार कोविड –19 महामारी के दृष्टिगत स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम डिग्री/डिप्लोमा मेडिसिन, एनेस्थरिया एवं पॉलमोनोलॉजी के उत्तीर्ण छात्र/छात्राओं की सेवाओं विभिन्न शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय में स्वीकृत पीजीएमओ के पदो के विरूद्ध अस्थायी रूप से कोविड–19 ड्यूटी कार्य करने हेतु लिये जाने पर सेवा की अवधि उनके द्वारा स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम उत्तीर्ण कारने के उपरांत की जाने वाले ग्रामीण सेवाओ की अवधि में विकलनीय होगी। यह केवल शासकीय स्वशासी चिकित्सा महाविद्यालय से उत्तीर्ण छात्र/छात्राओं पर लागू होगा।

2020.09.29 13:47

Scanned with CamScanner